न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-39/2017-2018

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार, पिता-स्व0 श्रद्धानन्द यादव, सा0-छपड़ा टोला, नाथपुर, वार्ड नं0-05, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया
2. श्री संतोष कुमार यादव, पिता-रूद्रानन्द यादव, सा0-मानिकपुर, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया..विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 2050/हि0शा0, दिनांक 01.06.2017) के आलोक में नरपतगंज थाना कांड संख्या-139/16, दिनांक 03.06.2016 धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 47(ए) बिहार उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38H-8132 को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। नरपतगंज थाना कांड संख्या-139/16, दिनांक 03.06.2016 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों 1. श्री मुकेश कुमार, पिता-स्व0 श्रद्धानन्द यादव, सा0-छपड़ा टोला, नाथपुर, वार्ड नं0-05, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया, एवं 2. श्री संतोष कुमार यादव, पिता-रूद्रानन्द यादव, सा0-मानिकपुर, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया के विरुद्ध कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। (2) दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि दिनांक 03.06.2017 को दिनांक 03.06.2017 को थानाध्यक्ष, नरपतगंज थाना द्वारा पंचायत चुनाव,2016 के चल रहे मतगणना के अवसर पर थाना के सभी पदाधिकारी बल व चौकीदार के साथ मतगणना स्थल नरपतगंज प्रखण्ड परिसर में विधि व्यवस्था ड्यूटी पर थे। इसी कम में समय 18.30 बजे गुप्त सूचना मिली कि अवैध रूप से नेपाली शराब नरपतगंज बजार में पहुँचने वाला है। उक्त सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अवर निरीक्षक उपेन्द्र प्रसाद सिंह के साथ मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त बल एवं चौकीदार से नरपतगंज बाजार पहुँचा एवं बाजार कसबे वाली अलग-अलग रूट पर निगरानी शुरू किया। विपक्षी मोटर साईकिल, जिसके सीट पर प्लास्टिक के बोरा में कुछ सामान बंधा था, जिसे पीछे बैठा एक व्यक्ति पकड़े हुए उत्तर दिशा से आ रहा था, पुलिस गाड़ी को देखते हुये पश्चिम दिशा की ओर भागने लगे। पुलिस गाड़ी से घेर कर नरपतगंज हॉस्पिटल से पश्चिम सटे साहेबगंज जाने वाली रोड में विपक्षी को पकड़ लिया गया। विपक्षी के मोटर साईकिल के पीछे बैठा व्यक्ति अंधेरा का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गया। विपक्षी से	

अधिहरण वाद संख्या-39/2017-2018

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)

25.05.2019

पूछताछ के क्रम में विपक्षी ने अपना नाम मुकेश कुमार यादव, पे0-स्व0 श्रद्धानन्द यादव, सा0-छपड़ाटोला, नाथपुर, वार्ड न0-05, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया बताया तथा भागे हुये व्यक्ति का नाम संतोष कुमार यादव, पे0-रूद्रानन्द यादव, सा0-मानिकपुर, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया बताया। वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र गवाहों 1. दयानंद यादव, पे0-स्व0 डुलाई यादव, सा0-मधुरा पश्चिम, वार्ड न0-14, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया एवं 2. सोनु कुमार, पे0-दिलचन्द प्रसाद भगत, सा0-नरपतगंज, वार्ड न0-1, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया के समक्ष तलाशी के क्रम में उक्त बोरा के अन्दर छिपा कर रखा हुआ 180 एम0एल0 का 82 पीस Tetanic अंकित नेपाली शराब एवं 180 एम0एल0 का 43 पीस रॉयल स्टेज अंकित अंग्रेजी शराब नेपाली सील लगा हुआ बरामद हुआ तथा विपक्षी के (मुकेश कुमार यादव) पॉकेट से पैंतालीस सौ रूपया तथा हीरो कम्पनी का काला रंग का IGNITOR मोटर साईकिल, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या-BR-38H-8132 बरामद हुआ। उक्त बरामद शराब के संबध में पूछने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को जब्ती सूची बनाकर विधिवत् जब्त किया गया। बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध नरपतगंज थाना कांड संख्या-139/2016, दिनांक 03.06.2016, धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 47 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम,2016 दर्ज किया गया तथा विपक्षी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटरसाईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटरसाईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त मोटरसाईकिल को राजसात किया जाय।

(4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38H-8132 का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38H-8132 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तद्नुसार नरपतगंज थाना कांड संख्या-139/16, दिनांक 03.06.2016 में जब्त मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR-38H-8132 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात** किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया | समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1019/विधि, अररिया, दिनांक 31/5/2019

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता न्यायालय, अररिया (बिहार)

25.05.2019